न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/02/2016	2016/00074	31.05.2016	10.06.2024

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार भू–अभिलेख राजगढ, जिला अलवर।
2. जत्ती मीणा पुत्र श्री मन्ना मीणा, जाति मीणा, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर (मृतक)।

2/1 श्रीमती भौती देवी बेवा जत्ती मीणा जाति मीणा

2/2 जयराम पुत्र जत्ती मीणा जाति मीणा

2/3 सुखराम पुत्र जत्ती मीणा जाति मीणा

2/4 हरकेश मीणा पुत्र जत्ती मीणा जाति मीणा, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर।

2/5 श्रीमती बेलबाई पुत्री स्व0 जत्ती मीणा धर्मपत्नी रामखिलाडी निवासी ग्राम रूपबास तहसील राजगढ जिला अलवर।

2/6 श्रीमती सीता बेवाह राजू पुत्रवधु स्व0 जत्ती मीणा जाति मीणा

2/7 रामकेश पुत्र राजू पोत्र स्व0 जत्ती मीणा जाति मीणा उम्र करीब 15 साल नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता सीता देवी

2/8 प्रकाश पुत्र राजू पौत्र स्व0 जत्ती मीणा जाति मीणा उम्र करीब 15 साल नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता सीता देवी, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. शीला धर्मपत्नी गोकल कौम कोली निवासी टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ जैर नियम 14 (4) भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा भू आवंटन समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 11.12.2004 जिसके द्वारा गैरसायला को आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 नवीन खसरा नम्बर 281/2312 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 आवंटित किये जाने की आज्ञा निरस्त फरमाये जाने बाबत्।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उपस्थितः—

01. श्री राजकीय अभिभाषक — वकील प्रार्थी 01
02. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता — वकील प्रार्थीगण
03. अशोक कुमार जैन — वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ जैर नियम 14 (4) भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा भू आवंटन समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 11.12.2004 जिसके द्वारा गैरसायला को आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 नवीन खसरा नम्बर 281/2312 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 के आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 में स्थित आराजी खसरा न0 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 जिसका नवीन खसरा न0 281/2312 रकबा 0.75 है0 गैरसायला के नाम पर भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित होकर गैरखातेदारी का दर्ज रिकार्ड है।

गैरसायला को ग्राम टहला की साबिक खसरा न0 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 दिनांक 11.12.2004 में आवंटन हुई थी, वर्तमान में गैरखातेदार से रिकार्ड है। गैरसायला ने आवंटन से प्रथम तीन वर्षो से सम्पूर्ण रकबा पर काश्त नहीं की गई है यानि गैरसायला ने आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को आवंट आदेश दिनांक 11.12.2004 के आदेश निरस्त किया जाकर भू राजस्व कम फरमायें। वकील प्रार्थी संख्या 02 (वारिसान) द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में साईटेशन RRD 1982 I 237, RRT 2021 P 212 , RRD 2005 P 021, RRC 2002 P 215, RRT 2003 P 34, RRD 2002 P 150 पेश किये हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे ही बहस करना चाहता है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार विधिवत आवंटन हुआ है। आवंटन होने के उपरांत दिनांक 28.07.2005 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 281 कुल रकबा 2.95 है0 में से आवंटी को आवंटित रकबा 0.75 है0 का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

सीमांकन कर विधिवत मौके पर कब्जा दिया गया। पत्रावली पर रिकॉर्ड शामिल है। आवंटन विधिवत पात्रता के अनुसार किया गया है। कब्जा देने के बाद मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो वह 14(4) का आधार नहीं बनता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत है। हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः समस्त तथ्य एवं परीक्षण करने के उपरांत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टहला को हिदायत दी जाती है कि मौके पर जो भी परिवर्तन हुआ है उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिवत कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)